

कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी प्रतापगढ ।

पत्र संख्या: एस0 टी0 / एफ0 एस0 (हे.शि0 सं0) 2010

दिनांक: 10/1/11

सेवा में,

संयुक्त शिक्षा निदेशक

इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद ।

विषय: अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण होने के उपरान्त अनापत्ति प्रमाण- पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक /शिविर/1282-85/2011-12 दिनांक 06.06.2011

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सचिव उ0 प्र0 शासन के पत्र सं0 1801/15-7-09-1 (124)/2009 के द्वारा प्राप्त निरीक्षण प्रारूप के अनुसार उल्लिखित बिन्दुओं के सापेक्ष विद्यालय जे.पी.टी. स्कूल रंजीपुर गिर्जा, प्रतापगढ ।


का पूर्व में स्वीकृत मानचित्र तथा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार विद्यालय स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्र का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया तो अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से उक्त स्थल उपयुक्त पाया गया । आख्यान निम्न प्रकार है:-

1. निर्मित विद्यालय मानचित्र के अनुसार भू-तल, ~~प्रक्षर~~ का स्वीकृत है, तथा निर्माण भी किया गया है।
2. पहुँच मार्ग उपयुक्त है, फायर सर्विस के वाहन सुगमता पूर्वक उक्त स्थल तक पहुँच सकते हैं।
3. अग्नि शमन कार्य हेतु पानी की स्थाई टंकी, भूमिगत/टेरिस टैंक, एन0बी0सी0 मानक के अनुसार आवश्यकता नहीं है।
4. स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति एन0बी0सी0 मानक के अनुसार आवश्यकता नहीं है।
5. फास्ट एट होज रॉट एन0बी0सी0 मानक के अनुसार आवश्यकता नहीं है।
6. भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणीकरण चिन्हयुक्त अग्निशामक उपकरण मानक के अनुसार लगे पाये गये
7. कम्पाटमेंटेशन आवश्यक नहीं है।
8. स्वाचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति/हस्तचालित विद्युत एवं अग्नि चेतावनी पद्धति, एन0बी0सी0 मानक के अनुसार आवश्यकता नहीं है।
9. निकाम मार्ग के प्रदोप्त संकेत चिन्ह, मुख्य-मुख्य स्थानों पर अंकित है।
10. विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक श्रोत, जनरेटर सुविधा है।

क्रमशः पेज नं0 2 पर,

11. फायरमैन विच चुकन फायर लिफ्ट एन0बी0सी0 मानक के अनुसार आवश्यकता नहीं है।
12. वेंटगार्डर डाउनकमर सिस्टम, एन0बी0सी0 मानक के अनुसार आवश्यकता नहीं है।
13. सेंट्रल, न्यूकृत मानचित्र के अनुसार सेंट्रल छोड़ा गया है,
14. निवास की आवश्यकताएँ एवं अग्नि बचाव के मार्ग, उपयुक्त है।
15. फायर ड्रिल का अभ्यास उपस्थित स्टाफ एवं छात्रों को कराया गया है।
16. अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण, स्टाफ द्वारा पूर्ण रूप से किया गया है।
17. अग्निशमन पद्धति के प्रचलन के लिए स्टाफ/प्रशिक्षण, प्रदान किया गया है।
18. निष्क्रमण योजना एवं ड्रिल, का अभ्यास टोलों बनाकर कराया गया है।
19. सार्वभूमि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा, कराया गया है।


उपरोक्त व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने का फायर स्टेशन द्वारा प्रतिवर्ष ट्रेनिंग एवं रिफिलिंग तथा नवनीकरण कराये जाने के प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है, जो निम्न है:-


 (सी0 आर0 निर्मल)
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी
 प्रतापगढ़ ।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता - 2005 में उल्लिखित शैक्षिक भवनों के लिए प्रावधानित अग्निशमन सुरक्षा के अनुरूप दिनांक: 18-1-2012 स्कूल का नाम...गैट...जे.वियर्स
स्कूल, रंजीपुर, ...मिलबिल, ...प्रतापगढ़, ... निरीक्षण संलग्न प्रारूप एवं मानचित्र के अनुसार किया गया ।

उपरोक्त प्रारूप एवं मानचित्र के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पायी गई ।


 (सी0 आर0 निर्मल)
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी
 प्रतापगढ़ ।